उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-39/2023/531627/60-1099/6/2020

लखनऊ::दिनांक:: 24 अगस्त, 2023

कार्यालय-आदेश

श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती को जिला प्रोबेशन कार्यालय, बस्ती के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में आडिट आपत्ति भाग-2 (अ) एवं भाग-2 (ब) में माह-अगस्त, 2017 से माह-अक्टूबर, 2019 के मध्य रू0 4,83,99,073/- (रूपये चार करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार तिहत्तर मात्र) का रोकड़ बही (कैश-बुक) तैयार किये बिना भुगतान होने की अनदेखी करने, पर्यवेक्षणीय दायित्व में शिथिलता बरतने, वित्तीय वर्ष 2018-19 में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल कार्यालय मद में प्राप्त आवंटन का अनियमित आहरण करने, बिना बिल बाउचर के रू0 8,00,000/- (रूपये आठ लाख मात्र) का फर्जी भुगतान किये जाने, उक्त धनराशि के आहरण संबंधी अभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से नहीं करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने तथा पदगत दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने आदि आरोप के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-754/60-1-20-1/13(70)/2019, दिनांक 28.04.2020 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये उन्हें निदेशालय महिला कल्याण से सम्बद्ध किया गया था।

2- श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध शासन के कार्यालय आदेश संख्या-53919/60-1099/6/2020, दिनांक 22.07.2020 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती (पदेन) को जॉच अधिकारी नामित किया गया तथा आरोप-पत्र संख्या-53906/60-1099/6/2020, दिनांक 22.07.2020 निर्गत किया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह पर लगाये गये आरोपों की जॉच कर जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 12.02.2021 शासन में प्राप्त हुई। जॉच में आरोप प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9 (4) के अन्तर्गत सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हुये श्री सिंह से अभ्यावेदन मांगा गया। उनका अभ्यावेदन दिनांक 27.03.2021 शासन में प्राप्त हुआ। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन तथा अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में लगाये गये 06 आरोपों में से 04 आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध एवं 01 आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया तथा 01 आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोपों के सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड विनिश्चिय करते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-227/60-1-23-1/13(70)/2019, दिनांक 12.04.2023 द्वारा निलम्बन से सेवा में बहाल किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

4- शासन के पत्र दिनांक 12.04.2023 द्वारा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध विनिश्चित किये गये दण्ड-'संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि रोके जाने, परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किये जाने तथा गबन की धनराशि रू0 8,00,000/- का 30 प्रतिशत श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के वेतन से वसूली कराये जाने' के प्रस्ताव पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की सहमति मांगी गयी। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1/3/ए.डी.सी./एस-4/2023-24, दिनांक 20.06.2023 द्वारा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड पर अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती सम्प्रति उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में विनिश्चित किये गये दण्ड-**"गबन की धनराशि (रू0 8,00,000/-) का 30 प्रतिशत उनके वेतन से वसूली किये जाने, संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि रोके जाने एवं निम्नवत् परिनिन्दा प्रविष्टि"** प्रदान करते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-53924/60-1099/6/2020, दिनांक 22.07.2020 द्वारा प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है :-

> ***"उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती के कार्यालय व्यय हेतु रू0 8,00,000/- की धनराशि का आहरण वित्तीय नियमों के विपरीत कोटेशन/टेण्डर प्राप्त किये बगैर किये जाने, क्रय किये गये सामानों का स्टॉक बुक में अंकन नहीं कराये जाने, स्वार्थ सिद्धि के***

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उद्देश्य से फर्जी तरीके से कोषागार में मिथ्यापूर्ण प्रमाण-पत्र अंकित कर रू0 8,00,000/- की शासकीय धनराशि गबन किये जाने में संलिप्त पाते हुये आपको 'परिनिन्दित' किया जाता है।"

(अनामिका सिंह)

सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि गबन की धनराशि (रू0 8,00,000/-) का 30 प्रतिशत की वसूली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती सम्प्रति उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के वेतन से कराते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

(2) मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

(4) श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल, बस्ती सम्प्रति उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

(5) श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी की चरित्र पंजिका में अभिलेखित करने हेतु।

(6) गार्ड फाइल।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।